न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2022 / 76

प्रार्थना पत्र संख्या 65 / 2022

तारीख रजू 22.11.2022

1. देवीलाल पुत्र बृजमोहन गूजर निवासी बरनावदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..........प्रार्थी

बनाम

1. केदार पुत्र बदरी गूजर निवासी गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (फौत)
2. मुरारी पुत्र बदरी गूजर निवासी गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. आवंटन सलाहकार समिति खण्डार जरिये तहसीलदार खण्डार।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री जगन्नाथ चौधरी एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से

श्री मुकेश बंसल एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 28.07.1968 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 केदार पुत्र बदरी गूजर निवासी गोठडा तहसील खण्डार को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम बरनावदा में दिनांक 28.07.1968 को खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा का किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। अदालत मातहत की मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि आवंटन से संबंधित विवादित भूमि आराजी ख0नं0 256 रकबा 10 बीघा बंजड वाके ग्राम बरनावदा पर सदैव से ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है इस कारण प्रार्थी के आवंटन का उपयुक्त पात्र होते हुए भी आवंटन सलाहक[illegible] ने आवंटन करने से पूर्व इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही उक्त [illegible] 10 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 28.07.1968 को आ[illegible]आवंटी केदार पुत्र [illegible]गूजर ग्राम बरनावदा का रहने वाला नहीं था, ग्राम गोठडा क[illegible]निवासी था। न ही [illegible]वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आवंटन कमेटी के सामने उपस्थित हुआ आवंटन कमेटी ने विपक्षी के बिना उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र की बिना जांच किए ही आवंटन कर दिया। इस कारण विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन कमेटी ने आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की तथा आवंटन से पूर्व न तो आक्यूपाईड भूमि की कोई लिस्ट तैयार की गई न ही आवंटन कमेटी की बैठक की कोई सूचना जारी की गई न ही उक्त भूमि के आवंटन बाबत कोई उद्घोषणा की गई। इस कारण विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख0नं0 256 रकबा 164 बीघा 14 बिस्वा बरूये रिकार्ड गै0मु0 नदी बा03 है जिसमे 102 बीघा 9 बिस्वा पडत तथा शेष अनाधिकृत काश्त में है उक्त भूमि का आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन योग्य नहीं होते हुए भी विपक्षी को आवंटन कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति ने भी पत्रावली में यह अंकित किया है कि उक्त भूमि गै0मु0 नदी की है इस कारण उक्त पत्रावली को उपजिलाधीश के पास मंजूरी के लिए भेजने का नोट भी अंकित है इस नोट के बावजूद भी प्रतिबंधित भूमि के बावजूद उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं होते हुए भी आवंटन कमेटी ने विपक्षी सं0 1 को आवंटन कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी सं0 1 को आवंटन के पश्चात मौके पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कोई कब्जा भी नहीं दिया न ही उक्त भूमि का मौके पर कोई तरमीम की गई। उक्त आदेश एब एनइश्यू वोइड होने के कारण इसमें लिमिटेशन एक्ट भी लागू नहीं होता है ऐसे आदेश को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत मानसिंह व अन्य बनाम रूपराम (211) (RRD 1995 page 576) (Limitation) पेश किया। अन्त में वकील निगरानी गुजार ने आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.07.1968 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के भाई द्वारा नियमानुसार जमीन अलोटमेन्ट के लिए आवेदन किया आवेदन फार्म पर अपने हस्ताक्षर किये। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट हुई पटवारी की रिपोर्ट के उपरान्त सक्षम अधिकारी, तहसीलदार खण्डार, विकास अधिकारी खण्डार, सरपंच ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा व अन्य अधिकारी द्वारा अलोटमेन्ट स्वीकार किया इसके उपरान्त नामान्तकरण खुला फिर गैर खातेदारी से खातेदारी के नाम नामान्तकरण खुला इस तरह नियमानुसार जमीन का अलोटमेन्ट हुआ खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जोकि लगभग 58 साल खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। जमीन अलोटमेन्ट से लेकर आज तक कब्जा प्रार्थी के भाई केदार का व उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी का कब्जा है। निगरानी गुजार प्रार्थी का सगा जीजा है और येनकेन उपरोक्त ज[illegible] रहता है पूर्व में भी इसके विरूद्ध एफआईआर सं. 66/19 थाना खण्डार धारा [illegible] चोरी की प्रार्थी ने दर्ज करायी थी। उसके उपरान्त भी यह नहीं माना [illegible] पुत्र बदरी निवासी बरनावदा फर्जी खडा करके एक दावा [illegible] में 5.10.17 को करा दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिसका पता प्रार्थी को लगने पर प्रार्थी द्वारा 420 का मुकदमा इसके विरूद्ध दर्ज कराया जिसके एफ.आई.आर. नं. 275/19 थाना खण्डार है। इसके बाद पुनः इसके विरूद्ध प्रार्थी के उपरोक्त खेत में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दिनांक 22.02.2020 को इसके विरूद्ध दर्ज कराया गया जिसके एफ.आई.आर. नं. 46/20 है। वह दिनांक 05.03.23 को उपरोक्त भूमि पर उसने झगडा किया उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई 58/23 थाना खण्डार है व दिनांक 08.02.23 को पुनः इसी जमीन को लेकर झगडा किया जिसके एफ.आई.आर. नं. 32/23 थाना खण्डार है इस तरह यह व्यक्ति उपरोक्त जमीन को लेकर आये दिन झगडा करता है और इसी रंजिशवश यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। यह कि पूर्व में भी दिनांक 28.11.17 को पंचो के समक्ष निगरानी गुजार ने शपथ पत्र लिखकर दिया कि उपरोक्त भूमि वर्तमान में मुरारी के नाम है व अलोटमेन्ट मुरारी के भाई केदार को हुआ था। मुझ शपथग्रहिता ने साझे बांटे पर जमीन काश्त की थी इसका विवाद कोर्ट तक चला गया अब मैंने संपूर्ण जमीन मुरारी को सुपुर्द कर दी है और वास्तव में जमीन मुरारी की है। इस तरह स्वयं ने शपथ पत्र पंचो के समक्ष लिखकर दिया जिस पर वह मुकर नहीं सकता। यह कि नियमानुसार 3 साल बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उक्त आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के भाई को लगभग साठ वर्ष पूर्व अलोटमेन्ट हुआ है जो अब स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं ऐसा आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं तकनीकी कमियों के कारण भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांत 2018(2) DNJ (RAJ.) 726 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ बनाम शंकरलाल नट व अन्य, 2018(1) RRT 299 राजस्थान सरकार बनाम कृपाशंकर व अन्य, 2020(2) RRT 814 Shankar Lal (D) Thr. L.R.s & Ors. Vs. State of Rajasthan, 2011(1) RRT 270 Ramlal & Ors. Vs Prabhulal & Anr., 2018(2) RRT 1007 State of Rajasthan Vs. Shankarlal & Ors. 2014(2) RRT 759 Amar Singh Vs. State of Rajasthan, 2016 (1) RRT 82 State of Rajasthan Vs. Smt. Jasoda & Anr., 2016(1) RRT 358 State of Rajasthan Vs. Hanuman Singh & Ors., 2012(1) RRT 140 Kuma Ram Vs. State of Rajasthan & Ors. पेश किये। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) को खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस के साथ पेश किए गए दस्तावेजात, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अप्रार्थी संख्या 1 केदार पुत्र बदरी निवासी ग्राम बरनावदा तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा बंजड़ वाके ग्राम बरनावदा में आदेश दिनांक 28/07/1968 के द्वारा भूमि आवंटित की गई ... आवंटनशुदा आराजी ख0नं0 256 रकबा 10 बीघा का आवंटन निरस्त ... सगा जीजा प्रार्थी देवीलाल पुत्र बृजमोहन गूजर निवासी बरनावदा (प्रार्थी ...) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) पेश किया गया है। अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ देवीलाल पुत्र बृजमोहन निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बरनावदा तहसील खण्डार (प्रार्थी) का सहमति का शपथ पत्र दिनांक 28.11.17 पेश किया है जिसके अनुसार निगरानी गुजार ने गांव के मोत विरान साक्षीगण के समक्ष उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 1 की मृत्यु उपरान्त मुरारीलाल गुर्जर के नाम विरासत से आना तथा स्वयं शपथ ग्रहिता का कोई वास्ता नहीं होना बताया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य घरेलू विवाद का होना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 28.07.1968 को खारिज करने हेतु 14(4) का प्रार्थना पत्र लगभग 54 साल बाद पेश किया गया है तथा उक्त आवंटन आदेश इस आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त विवादित भूमि के आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग था। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2016(1) RRT 358 State of Rajasthan Vs. Hanuman Singh & Ors. के अनुसार तकनीकी आधार पर 60 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है। मतदाता सूची के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को नाबालिग होना नहीं माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 के नाम हकत्याग व विरासत से नामान्तकरण संख्या 1285 दिनांक 21.12.15 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः उक्त भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested